

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार - ।

राजस्व आवेदन संख्या :- 91/2025

क्रमांक/आवेदन/2026/ 386

दिनांक- 23/01/2026

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. विक्रमसिंह पुत्र चतरसिंह, जाति-राजपूत, नि0 तामलोर तह0 गडरारोड़		1. हनीफ खां पुत्र अली खां, जाति-मुसलमान, नि0 पनेला तह0 गडरारोड़ वगैरा (5)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू-अभिलेख निरीक्षक जैसिन्धर स्टेशन को प्रार्थी की मौजा ओनाडा, पटवार मण्डल- गडरारोड़, तह0 गडरारोड़ जिसके खाता संख्या 95, खसरा नम्बर 586/306 रकबा 9.2349 हैक्टैयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर तथा लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34 (3) की प्रक्रिया अपनाते हुये भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवाने हेतु 500/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। इस हेतु आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। निरीक्षक भू- अभिलेख बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
गडरारोड़

क्रमांक/आवेदन/2026/ 387-32

दिनांक- 23/01/2026

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार गडरारोड़ को सूचनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक गडरारोड़ को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी गडरारोड़ को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक गडरारोड़ द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना गडरारोड़ को पालनार्थ।
5. प्रार्थी विक्रमसिंह पुत्र चतरसिंह को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण हनीफ खां पुत्र अली खां वगैरा (05) को सूचनार्थ।

  
अधिकारी  
गडरारोड़

026

पत्रावली पेश हुई।


प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 05 के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तामील होने के बावजूद अनुपस्थित।

अतः विप्रार्थी संख्या 1 से 04 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ओनाडा, पटवार मण्डल— गडरारोड़, तह0 गडरारोड़ जिसके खाता संख्या 95, खसरा नम्बर 586/306 रकबा 9.2349 हैक्टैयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर तथा लैण्ड रेकार्ड्स रूल्य, 1957 के नियम 34 (3) की प्रक्रिया अपनाते हुये भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुये नेखमबंदी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक गडरारोड़ को 500/-रु शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आवश्यकता होने पर एस.एच.ओ. गडरारोड़ से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक गडरारोड़ वाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी  
गडरारोड़